

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2020/60

भोपाल दिनांक 28/09/2020

प्रति

कलेक्टर  
ममस्त जिले  
म0प्र0

सीएम राइज स्कूल  
परिपत्र- 01

विषय:-सी. एम. राइज अंतर्गत विद्यालयों का चयन करने बावत।


मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के लोक व्यापीकरण एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदाय करने हेतु मत्त रूप से विभिन्न प्रयाम किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं भविष्य में उत्कृष्ट नागरिकों के विकास हेतु शिक्षा एवं उपलब्ध संसाधनों को परिणाममूलक बनाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में संचालित विद्यालयों में से 10,000 विद्यालयों को सर्व मुविधायुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने लक्ष्य रखा गया है।

2/- सी.एम.राइज स्कूल विकसित करने के उद्देश्य:-

- 2.1 नर्मरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के ममग्र/एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों की ट्रांजीशन दर को बढ़ाना तथा ड्रॉपआउट दर को कम करना।
- 2.2 विद्यार्थियों में आधुनिक 21 वीं शताब्दी की क्षमताओं / दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों, प्राविधियों और तकनीक से लैस करना।
- 2.3 बच्चों के ममग्र विकास के लिये खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि पाठ्येतर गतिविधियों हेतु बड़े विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
- 2.4 सी.एम.राइज स्कूल में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में वृद्धि कर उनका समुचित उपयोग करते हुये पालको में अशामकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहे आकर्षण को रोकना।
- 2.5 नर्मरी से लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ संचालित करना।
- 2.6 सी.एम.राइज शालाओं को सी.बी.एम.ई.मान्यता शाला के रूप में परिवर्तन करना।
- 2.7 छात्रों के सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाना।

3/- सी.एम. राइज स्कूल हेतु चिन्हांकन के मापदण्ड :

राज्य स्तर से स्कूल शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विद्यालयों के यू-डार्डम एवं अन्य स्रोतों से उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के आधार पर प्रति जनशिक्षा 5 विद्यालयों का चिन्हांकन निम्न मापदण्डों के आधार पर किया गया है:

  
(आर. के. त्रिवेदी)  
विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी  
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

- 3.1 भविष्य में न्यूनतम 1000 बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष, खेल मैदान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि निर्मित किये जाने हेतु भूमि की उपलब्धता।
- 3.2 विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटों के केंद्र में स्थित होना जिसमें समीपस्थ बसाहटों के बच्चों को मी.एम.राइज-स्कूल तक आने में कम दूरी तय करना पड़े एवं परिवहन सुविधा का कम से कम उपयोग करना पड़े।
- 3.3 विद्यालय का एकीकृत (EPES) होना।
- 3.4 विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या।
- 3.5 विद्यालय में आई.सी.टी. की उपलब्धता।
- 3.6 विद्यालय का नामांकन।

#### 4/- सी.एम.राइज स्कूल के भौतिक स्थापन की प्रक्रिया-

क्रॉडिका-3 अनुसार विद्यालयों का चयन यू-डाइम डाटा के आधार पर किया गया है, अतएव इनका भौतिक स्थापन कराया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र के अधिकतम 4 विद्यालय एवं प्रदेश के कुल 10,000 विद्यालयों को वरीयता के आधार पर अंतिम रूप में मी.एम.राइज स्कूल हेतु चयनित किया जा सके। अतः भौतिक स्थापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।

- 4.1 राज्य स्तर में प्रति जनशिक्षा केन्द्र से 5 ऐसे विद्यालयों का चयन किया गया है, जिन्हें सर्वसुविधायुक्त आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की संभावना है।
- 4.2 जिलेवार चिन्हित विद्यालयों की मूची विमर्श पोर्टल पर डीईओ के लॉगइन पर अपलोड की गई है।
- 4.3 मूची अनुसार विद्यालयों का भौतिक स्थापन संकुल प्राचार्य एवं जन शिक्षक के माध्यम में संयुक्त रूप से कराया जायेगा।
- 4.4 भौतिक स्थापन के दौरान चिन्हित विद्यालयों की मूची के अतिरिक्त अन्य विद्यालय का विकल्प होने पर स्थापन दल बेहतर विद्यालय को प्रस्तावित कर सकता है।
- 4.5 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक संयुक्त रूप में विकासखण्ड के 10 प्रतिशत विद्यालयों का भौतिक स्थापन कर क्रॉस चेक करेंगे।
- 4.6 जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक अपने स्तर में प्रत्येक विकासखण्ड के 5-5 विद्यालयों को क्रॉस चेक करेंगे।
- 4.7 स्थापन प्रक्रिया पर प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, संकुल प्राचार्य एवं जनशिक्षकों को राज्य स्तरीय मी.एम.राइज टीम द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

#### 5/- सी.एम.राइज स्कूल के चयन का अनुमोदन:-

- 5.1 भौतिक स्थापन एवं जिले में क्रॉस चेक उपरांत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक विकासखण्ड के मी.एम.राइज स्कूल की एकजाई मूची पर जनपद पंचायत की शिक्षा समिति में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- 5.2 जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखण्डों से प्राप्त अनुमोदित मूची पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, महायक

(आर.के. त्रिवेदी)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी


आयुक्त आदिवामी विक्रम,परियोजना अधिकारी (शहरी विकास),जिला परियोजना समन्वयक सदस्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। समिति के द्वारा प्रति जनशिक्षा केन्द्र अधिकतम (ग्रेडिंग के आधार पर) चार विद्यालयों का चयन किया जायेगा।

5.3 जिला समिति (कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति) से अनुमोदित जिले की एक्जार्ड सूची पर जिला पंचायत की शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5.4 जिला शिक्षा अधिकारी जिला योजना समिति से अनुमोदित सूची को पोर्टल पर अपलोड करेगा।

6/- सम्पूर्ण सन्यापन एवं अनुमोदन का कार्य निश्चित समय-सीमा में कराये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। इसके लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण सहित समय सीमा में कार्य संपादन हेतु चेक लिस्ट संलग्न है।

कृपया सी.एम. राइज शालाओं के चिह्नंकन की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये कार्य समय सीमा में करवाने का कष्ट करें।


  
(लोकेश कुमार जाटव)  
आयुक्त  
राज्य शिक्षा केन्द्र


पु0क्रमांक/राशिके/डाण्डआर/2020/61

भोपाल दिनांक 28/09/20

प्रतिनिधि:-

- 1 निज सचिव माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग।
- 2 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 शामिल।
- 3 प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 शामिल।
- 4 आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय म0प्र0 भापाल।
- 5 संभागीय आयुक्त राजस्व समस्त संभाग म0प्र0।
- 6 संयुक्त संचालक लोकशिक्षण संभाग समस्त संभाग म0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग समस्त जिले को सूचनार्थ एवं समय सीमा में कार्यवाही हेतु आदेशित।
- 9 जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले म0प्र0 को सूचनार्थ एवं समय सीमा में कार्यवाही हेतु आदेशित।

  
(आर. के. त्रिवेदी)  
विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी  
स.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

  
आयुक्त  
राज्य शिक्षा केन्द्र